न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/136/2013

उनवान

1. नाथू पिता घीसा कोली, गोत्र रोदिया, निवासी गाडरी खेडा, (कोली कोलोनी) शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. नाथू पिता घीसा कोली, गोत्र तलाया निवासी चमना बावडी के सामने, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. तहसीलदार, भूमिधारी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के
प्रकरण संख्या 65/2012 निर्णय दिनांक 18.12.2012

अधिवक्तागण :—

1. श्री बी एल गुर्जर , अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री पृथ्वीराज चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.4.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते खाते एवं कब्जेकाश्त की शाहपुरा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 3618 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसके पूर्व खातेदार मोहन पिता हीरा कोली निवासी शाहपुरा थे जिनसे प्रार्थी ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वर्ष 1971 में खरीद की एवं जरिये इन्तकाल संख्या 1874 से प्रार्थी के खातेदारी हक में दर्ज हुई। तब से प्रार्थी बहैसियत खातेदार के आज तक काश्त करता चला आ रहा है। शाहपुरा तहसील में सेटलमेण्ट का कार्य चला जो पूर्ण हो चुका है। साबिक नम्बर के नये नम्बर 6633 रकबा 0.35 हे0 बने है। सेटलमेण्ट वालों ने उक्त नम्बर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज नहीं कर विपक्षी संख्या 1 जो कि प्रार्थी के नाम का व प्रार्थी की वल्दियत का होने से उसके खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। विपक्षी ने सेटलमेण्ट वालों से दुरभिसंधि करते हुए तहसील में नौकरी के कारण अपने नाम करवा ली जबकि प्रार्थी का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अनपढ है। राजस्व रेकार्ड में विपक्षी का नाम दर्ज होने से वह वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थी ने दिनांक 20.1.2011 को जमाबंदी की नकल निकलवाई तब जाकर प्रार्थी को जानकारी हुई। यदि विपक्षी दौराने विचारण वाद वादग्रस्त आराजियात को विक्रय कर देता है तो निश्चित ही प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त आराजी जिसके साबिक आराजी नम्बर 3618 होकर नये नम्बर 6633 रकबा 0.35 हे0 है जो विपक्षी के नाम खातेदारी से दर्ज हो गये हैं। प्रार्थी के कब्जेकाश्त में एवं उपयोग उपयोग में दखल नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजी का बिकाव , हस्तान्तरित नहीं करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीया को जानकारी समय पर नहीं हो सकी । अपीलार्थी चूंकि मानसिक रोग से ग्रसित था एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी। जब अपीलार्थी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ । तब अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय होने की जानकारी दिनांक दिनांक 21.6.2013 को दी तब अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.6.2013 को हुई। जिस पर अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन किया एवं निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की । इसलिए निर्णय दिनांक 18.12.2012 से जानकारी की दिनांक 21.6.2013 के मध्य के समय को समयोजित किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्ण विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी के विरूद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालयने वादग्रस्त भूमि को रिसीवरी में लेने के आदेश पारित करते हुए तहसीलदार, शाहपुरा को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

आदेशित किया कि वह वादग्रस्त आराजी नम्बर 3618 रकबा 1 बीघा 18बिस्वा भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 6633 रकबा 0.35 हे0 है को अपने कब्जे में लेकर सार्वजनिक निलामी कर उससे होने वाली आय व्यय का हिसाब रखे । उक्त पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी ने जवाब में किये गये एतराज के अनुसार दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किये जिस पर कोई गौर नहीं किया एवं बिना किसी आधार के वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी/प्रार्थी की मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3618 जिसके साबिक आराजी नम्बर 6633 कायम हुए वह अपीलार्थी/विपक्षी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होकर उसके मालिकाना हक की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेण्ट प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के द्वारा 14 वर्ष की उम्र में सन् 1971 में वादग्रस्त आराजियात खरीद किया जाना स्वीकार नहीं है। यदि नाबालिग प्रार्थी द्वारा क्रय की गई होती तो राजस्व रेकार्ड में सरपरस्त माता या पिता का नाम भी दर्ज होता। चूंकि राजस्व रेकार्ड में नाबालिग अंकन नही है, अतः अपीलाण्ट के तत्समय बालिग होने से अपीलाण्ट के पक्ष में अंकन स्वतः साबित है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 4149 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा जो रामा पिता प्रताप कोली की खातेदारी की भूमि थी । जिसे घीसा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पिता प्रताप कोली ने खरीद की थी। उक्त घीसा खरीददार प्रत्यर्थी के पिता है। घीसा कोली की मृत्यु के बाद उक्त आराजी जरिये इन्तकाल नम्बर 1827 से रामनारायण पिता घीसा कोली के नाम खोला गया । जिसमें हाल खसरा नम्बर 7728 दर्ज किये गये । गलती से घीसा की जगह घासी दर्ज कर दिया गया है। रामनारायण से नक्त आराजी खसरा नम्बर 7728 का बेचान दिनांक 22.2.2000 को बाबू पिता काशीराम खटीक के हक में कर दिया। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार से हक अधिकार नहीं बनता है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने अपना नाम नाथू पिता घीसा अंकित किया है जो सर्वथा गलत है । नाथू पिता घीसा कोली नाम का व्यक्ति गाडरी खेडा (कोली कोलोनी) में अपीलार्थी अकेला व्यक्ति है। अपीलार्थी/विपक्षी के अलावा अन्य कोई नाथू पिता घीसा कोली नाम का व्यक्ति गाडरी खेडा (कोली कोलोनी)शाहपुरा में नहीं रहता है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ले गलत रूप से नाथू पिता घीसा कोली गोत्र बताया है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने मात्र अपीलार्थी/विपक्षी की जमीन हडपने की नियत से गलत नाम व वल्दियत बताई है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी का वास्तविक नाम रामनारायण पिता घीसा कोली है जिसको छिपाते हुए वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसके संबंध में अपीलार्थी ने दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिसे नहीं मानकर प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट नम्बर एक के पक्ष में मानते हुए वादग्रस्त आराजी को रिसीवरी में लेने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात को रिसीवरी में लेने का अनुतोष नहीं चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष से परे जाकर अनुतोष दिया है। अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा अनुतोष जारी करने का अधिकार नहीं था। ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं थी कि वादग्रस्त आराजियात को रिसीवरी में लिया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज योग्य है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी/विपक्षी के खातेदारी अधिकार की होकर कब्जेकाश्त की है। वादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात से कोई लेना–देना नहीं है । अपीलाधीन मामले में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में है। इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रत्यर्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1981 पेज 146, आर बी जे 2006 पेज 22, आर बी जे 2006 पेज 773, डी एन जे 2014 पेज 1017 , आर बी जे 2013 पेज 95, आर आर डी 1980 रिविज नम्बर 115/कोटा 76, बिरधी लाल बनाम सरकार, एवं रिविजन नम्बर 264/79 अमरा बनाम मंगला प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

13. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत करने का समुचित एवं सद्भाविक कारण नहीं बताया है अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

14. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी/प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है एवं वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी/प्रार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। गत आराजी नम्बर 3618 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा मोहन पिता हीरा कोल निवासी शाहपुरा के खातेदारी की आराजी थी। जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये प्रार्थी नाथू पिता घीसा कोली गौत्र तलाया निवासी चमना बावडी के सामने शाहपुरा ने खरीद की थी। भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजी के नये आराजी नम्बर 6633 रकबा 0.35 हे0 बने हैं। भू प्रबन्ध अधिकारियो से दुरभिसंधि करते हुए अपीलार्थी/विपक्षी ने अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली । वादग्रस्त आराजी पर खरीद की तिथि से ही रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी का कब्जाकश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने जानकारी होते ही जिला कलक्टर महोदय, भीलवाडा के यहॉ संजीवनी प्रकरण दर्ज कराया । जिस पर तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा जांच रिपोर्ट रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के पक्ष में दी थी। रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के नाम की भूमि गलती से समान नाम के व्यक्ति की खातेदारी में भू प्रबन्ध के दौरान दर्ज हुई है। जिसे दुरूस्त कराने का अधिकार रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी को है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

15. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियान मानने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

16. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसके अनुसार अपीलाधीन प्रकरण में प्रथमदृष्टया अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी दोनों का ही नाम एवं पिता तथा जाति समान होने से वादग्रस्त आराजियात के स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। यद्यपि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह रिपोर्ट भी एकतरफा होने से उसके आधार पर भी किसी निर्णय पर पहूँच पाना भी न्यायोचित नहीं है। मामले में वादग्रस्त आराजियात का स्वामित्व इनमिडियो होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला किसी भी पक्षकार के हक में साबित नहीं होता है।

17. चूंकि कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी दोनों का ही नाम एवं पिता तथा जाति समान होने से वादग्रस्त आराजियात के स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी किसी भी पक्षकार के पक्ष में दृष्टिगत नहीं होता है।

18. जहॉ तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 6633 रकबा 0.35 हे0 नाथू पिता घीसा कोली के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी का निवेदन है कि उक्त आराजी सन् 1971 में प्रत्यर्थी/प्राथी के द्वारा खरीद की गई है जो भू प्रबन्ध के दौरान समान नाम के अपीलार्थी के नाम खातेदारी से गलत दर्ज कर दी गई है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश चाहता है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाती साक्ष्य से स्वामित्व एवं कब्जे की स्थिति स्पष्ट नही होती है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा किस पक्षकार का है यह स्पष्ट नहीं होता है । कब्जा इन मिडियो होने की स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसी एक पक्षकार के हक में साबित नहीं हो पाया है।

19. न्यायालय हाजा में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर उसके साथ संलग्न दस्तोवज को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया । न्यायहित में दोनों ही पक्षकारो के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेजात को पूर्व में दिनांक 1.2.2019 को रेकार्ड पर लिया गया है। उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात शामिल पत्रावली हैं। जिन्हें बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सहयोगार्थ पढे जाने की अनुमति है।

20. अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये है । उनका ससम्मान अवलोकन किया गया । न्यायिक उद्धरण जयराम बनाम टीकम व बुन्दाराम बनाम टीकम, आर आर डी 1981 पेज संख्या 146 के क्रम में अपीलार्थी को अपना कब्जा सिद्ध करना आवश्यक है, परन्तु उभयपक्षकारान भूमि पर अपना–अपना कब्जा बता रहे हैं, जिसे प्रथमदृष्टया साबित किया जाने पर ही अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप संभव है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं का कब्जा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, वरन् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण In Medio मानकर निस्तारित किया है। मूल वाद में यदि अपीलार्थी अपना स्वामित्व व कब्जा सिद्ध कर देता है, तो इस बाबत उसे उचित अवसर प्राप्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होंगें, परन्तु साक्ष्य के अभाव में In Medio प्रकरण में अपीलार्थी का स्पष्ट कब्जा सिद्ध नहीं होने से उपरोक्त न्यायिक उद्धरण को अपीलार्थी के पक्ष में पढा जाना उचित नहीं पाया जाता है। अन्य न्यायिक उद्धरणों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया । अपीलाधीन प्रकरण के तथ्य भिन्न होने, व संदर्भित निर्णय हूबहू प्रकरण पर लागू नहीं होने से अन्य न्यायिक उद्धरणों का अंकन निर्णय में नहीं किया जा रहा है।

21. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी/प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए वादग्रस्त आराजियात को रिसीवरी में लिये जाने का आदेश पारित किया है । जिसका अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार प्राप्त नहीं है। चूंकि अपीलाधीन मामले में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्वामित्व एवं कब्जे की स्थिति स्पष्ट नही होती है। स्थगन दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने की दोनों ही स्थिति में मौके पर विवाद होने एवं भूमि का विक्रय कर दिये जाने की स्थिति में वाद बहुलता बढने की स्थिति पैदा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजियात को रिसीवरी में लिये जाने का जो आदेश पारित किया है उनमें हस्तक्षेप का कोई कारण अपीलाण्ट सिद्ध नहीं कर सके हैं। चूंकि धारा 151 सी पी सी के तहत न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियॉ प्राप्त है तथा प्रकरण In Medio पाऐ जाने पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित है, अतः अपीलाण्ट की अपील इस आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है। मूल वाद अभी भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें साक्ष्य,सबूत, दस्तावेजात के आधार पर पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण होना अभी बाकी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के तहत वादग्रस्त आराजियात को मूल वाद के निस्तारण तक रिसीवरी में ही रखे जाने का आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण बनना नहीं पाया जाता है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 का नाम, जाति, पिता का नाम व ग्राम का नाम समान होना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। प्रकरण में वर्ष 1971 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति संलग्न नहीं है तथा मूल वाद में हक हितों का निर्धारण शेष है। ऐसे में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का प्रकरण In Medio न होने, व उनके पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण बनने, सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में होने अथवा उन्हें अपूर्णीय क्षति कारित होना साबित करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलाण्ट विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का ठोस कारण साबित करने में असफल रहे हैं।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने से पूर्व प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन कर प्रकरण In Medio होने का निष्कर्षण कर ही रिसीवर नियुक्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

22. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2012 को यथावत रखा जाता है।

23. निर्णय आज दिनांक 26.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

26/4/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा